INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP02343234243944V

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP02343234243944V
Certificate Issued Date	:	01-Sep-2023 10:42 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14246404/ FIROZABAD SADAR/ UP-FRZ
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1424640400266895825849V
Purchased by	:	SHRI UDAL SINGH SHIKSHA SAMITI FIROZABAD
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHRI UDAL SINGH SHIKSHA SAMITI FIROZABAD
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SHRI UDAL SINGH SHIKSHA SAMITI FIROZABAD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

ACC NAME BRIJESH KUMAR AGARWAL
STAMP VENDOR
LICENCE NUMBER -,88/2003
E STAMPING ACC ID : UP14246404
TEHSIL SADAR DISTT. FIROZABAD

Please write or type below this line

NOTARY
Chand Dhangar
Area Distt. Head Quarter, Firozabad
Regd. No. 15(22)2001
GOVT. OF UTTAR PRADESH

01/09/2023

NOTARY
Chand Dhangar
Area Distt. Head Quarter, Firozabad
Regd. No. 15(22)2001
GOVT. OF UTTAR PRADESH

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

शपथ–पत्र

हम सुरेश चन्द्र एवं सतीश चन्द्र क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव श्री ऊदल सिंह शिक्षा समिति, 38, गली न0 5, गान्धी नगर, शहर व जिला फिरोजाबाद शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं :–

01. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा यू0एस0 कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आसफाबाद, शहर व जिला फिरोजाबाद नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र् 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

02. यह कि हमारी सोसाइटी के नाम मौजा आसफाबाद, तह0 व जिला फिरोजाबाद में गाटा संख्या 41/1 कुल रकबा 0.305 हैक्टेयर भूमि है।

03. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

04. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 41/1 रकबा 0.305 हैक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 06/01/2020 द्वारा पारित किया गया है।

PEGE No. 21
S.No. ......
DATE 01/07/2023
NOTARY FIROZABAD

05. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

06. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

07. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

NOTARY GOVT. OF UTTAR PRADESH

ATTESTED

NOTARY FIROZABAD

.......2

08. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

09. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा ।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा ।

PEGE No. 3
S.No.
DATE 01/09/2023
NOTARY FIROZABAD

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा ।

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा । इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नंही की जायेगी ।

13. हम घोषणा करते है कि हमारे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना हमारी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है । यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो हमारे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी । ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होगें।

NOTARY
UTTAR PRADESH
Regd. No. 1542/2001

ATTESTED

ह0 सचिव

ह0 अध्यक्ष

NOTARY FIROZABAD